# मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
# किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

**ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com**

**क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशो./36 पार्ट/** 204 **भोपाल, दिनांक** 14 **/06/2024**

## आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश की कृषि उपज मंडियों मे अधिसूचित कृषि उपज की नियमन व्यवस्था अंतर्गत लाइसेंस व्यवस्था के सरलीकरण के उद्देश्य से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों से **"फल सब्जी विपणन के लिए उपविधि सन 2000"** में संशोधन की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29/06/2024 तक उपविधि में निम्न अनुसार संशोधन अनिवार्य रूप से स्थापित करें -

**"फल सब्जी विपणन के लिए उपविधि सन 2000" में संशोधन**

| उपविधि कंडिका | वर्तमान प्रावधान | संशोधन |
|---|---|---|
| 6 (5) | **अवधि**<br><br>मूलतः अनुज्ञप्ति की अवधि अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने के दिनांक से पांच वर्ष होगी, किन्तु इस अवधि में यदि मण्डी समिति की राय में अनुज्ञप्ति धारी का कार्य तथा आचरण संतोषप्रद पाया जाता है तब अनुज्ञप्ति की अवधि जीवनभर के लिये बढ़ा दी जायेगी। पूर्व अनुज्ञप्तिधारियों का कार्य तथा आचरण यदि उपरोक्तानुसार मंडी समिति की राय में संतोषप्रद है तों अनुज्ञप्ति अवधि उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क जमा करके जीवन भर के लिए बढ़ा दी जायेगी।<br><br>परन्तु भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारों के नामों में परिवर्तन होने पर अथवा कम्पनी की दशा में संचालकगण के नामों में परिवर्तन होने की दशा में परिवर्तन के चौदह दिवस के भीतर दिन का पुराद क मण्डी समिति को लिखित रूप में सूचना दी जायेगी। मण्डी समिति उपयुक्त परीक्षण के दाद इस परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेकर अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगी। | **अवधि**<br><br>मूलतः अनुज्ञप्ति की अवधि अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने के दिनाँक से तीस वर्ष तक होगी।<br><br>अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामले में अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति दिनांक के एक माह पूर्व से लेकर वैधता समाप्ति दिनांक के तीन माह पश्चात् तक की समयावधि में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तीन माह पश्चात् तक की यह समयसीमा अधिकतम होगी।<br><br>अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामले में निर्धारित समयावधि पूर्व आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व स्वीकृत अनुज्ञप्ति की समाप्ति दिनाँक से ही तीस वर्ष तक अनुज्ञप्ति नवीनीकृत की जा सकेगी।<br><br>परंतु अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि उपरांत प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत होने के दिनाँक से ही तीस वर्ष की अवधि हेतु किया जाएगा।<br><br>पार्टनरशिप फर्म की दशा में पार्टनर्स के नामों में परिवर्तन होने पर अथवा कंपनी की दशा में संचालकगण के नामों में परिवर्तन होने की दशा में परिवर्तन के चौदह दिवस के भीतर मंडी समिति को लिखित रूप में सूचना दी जाएगी। मंडी समिति उपयुक्त परीक्षण के बाद इस परिवर्तन के संबंध में |

| | | |
|---|---|---|
| | | निर्णय लेकर अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगी।<br><br>आवेदक संस्था के नाम परिवर्तन अथवा आवेदक संस्था के संगठन में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त किसी आवेदन के संबंध में मंडी के द्वारा संबंधित का आवेदन, नाम परिवर्तन अथवा संगठन में परिवर्तन के समर्थन में पर्याप्त शासकीय दस्तावेज, शपथपत्र आदि का परीक्षण उपरांत ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल पर नाम परिवर्तन हेतु अनुरोध किया जाएगा जिससे मंडी सचिव के लॉगिन पर पुनः मूल आवेदन उपलब्ध हो सकेगा जिसमें मंडी सचिव के स्तर से आवश्यक संशोधन किया जाकर डिजिटल सिग्नेचर उपरांत अद्यतन संशोधित अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी. यह कार्यवाही आवेदन प्राप्ति के चौदह दिवस के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी. |
| | **उक्त संशोधन के अनुसार अनुज्ञप्ति प्ररूप में अनुज्ञप्ति वैधता अवधि भी संशोधित की जाती है.** | |

मंडी समिति में सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि में मंडी समिति द्वारा उपविधि संशोधन करने में असफल रहने की स्थिति में उपविधि का उक्त संशोधन मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मंडी समिति के द्वारा किए गए समझे जाएंगे और तदुपरांत संशोधन दिनांक 30/06/2024 से मंडी समिति पर आबद्धकर होंगे।

13/06/24

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**आयुक्त सह प्रबंध संचालक**
**मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड**
**भोपाल**

भोपाल, दिनांक 14 /06/2024

/क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशो./36 पार्ट/ 205

प्रतिलिपि

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

3. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - __________(समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विर्निदिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलंब उपलब्ध कराएं।

4. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।

5. भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति __________ जिला __________(समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विर्निदिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को अविलंब प्रेषित करें।

6. विधि शाखा/गार्ड फाईल।

**आयुक्त सह प्रबंध संचालक**
**मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड**
**भोपाल**